सत्यमेव जयते

भारत सरकार

दिशानिर्देश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता निर्माण योजना का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम
का घटक

विकास आयुक्त

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

दिशानिर्देश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता निर्माण योजना का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम का एक घटक

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110 108
www.dcmsme.gov.in

मई, 2010

विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 द्वारा प्रकाशित
तारा आर्ट प्रिंटर्स प्रा.लि. बी–4, हंस भवन, नई दिल्ली–110002 द्वारा मुद्रित

माधव लाल
अपर सचिव एवम्
विकास आयुक्त

MADHAV LAL
Additional Secretary &
Development Commissioner

सत्यमेव जयते
MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मन्त्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

'A' WING, 7TH FLOOR, NIRMAN BHAVAN,
NEW DELHI-110108
Phones : 23061176, Fax : 23062315

04 मई, 2010

प्राक्कथन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) शुरू किया है। एनएमसीपी के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी उन्नत करना और विनिर्माण प्रक्रियाओं में ऊर्जा संरक्षित करना, तथा साथ ही भारतीय एमएसएमई उत्पादों का घरेलू व वैश्विक बाजार अंश बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत, 10 घटकों की संकल्पना की गई है:

- लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना
- गुणवत्ता प्रबंधन मानकों/गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स (क्यूएमएस/क्यूटीटी) के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी होने में मदद करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में आईसीटी (सूचना व संचार प्रौद्योगिकी) का संवर्धन
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रौद्योगिकी व गुणवत्ता उन्नयन समर्थन (टीइक्यूयूपी)
- विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
- लघु एवं मध्यम उद्यमों को विपणन समर्थन/सहायता (बार कोड)
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लीनिक योजना
- मिनी टूल रूमों की स्थापना
- बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान
- इन्क्यूबेटरों के द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों के उद्यमिता व प्रबंधकीय विकास के लिए सहयोग

इस पुस्तिका में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता निर्माण' पर योजना के दिशानिर्देश निहित हैं। यह योजना अगस्त, 2008 से प्रचालन में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में एमएसएमई की जागरूकता बढ़ाना और उनके विचारों तथा व्यावसायिक रणनीतियों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना है।

एनएमसीपी की सफलता राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे तकनीकी संस्थानों और पेशेवरों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी पर निर्भर है।

आशा है कि सुविधाजनक पुस्तिकाओं के रूप में दिशानिर्देशों के इस प्रकाशन से योजनाओं के उद्देश्यों तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए परिकल्पित भूमिका और प्रक्रिया के बारे में सूचना के प्रचार एवं प्रसार में सहायता मिलेगी।

माधव लाल

(माधव लाल)

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	
1.	परिचय	7
2.	उद्देश्य	7
3.	मुख्य कार्यकलाप	8
4.	परिभाषा और पात्रता	8
5.	कार्यान्वयन, मूल्यांकन और निगरानी की विधियां	9
	कार्यकलाप	
6.	आईपीआर पर जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम	10
7.	चुनिंदा क्लस्टरों/उद्योगों के समूहों के लिए पायलट अध्ययन	11
8.	इंटरेक्टिव सेमिनार/कार्यशालाएं	13
9.	विशेषीकृत प्रशिक्षण (अल्पकालिक/दीर्घकालिक)	15
10.	वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों के तहत पंजीकरण और पेटेंट प्राप्त करने पर वित्तीय सहायता	17
11.	एमएसएमई के लिए आईपी सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु सहायता	18
12.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ क्रियाकलाप	20
	अनुबंध	
I	जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु आवेदन फॉर्म	22
II	पायलट अध्ययन के आयोजन हेतु आवेदन फार्म	24
III	संगोष्ठी/परिचर्चा/कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु आवेदन फार्म	25
IV	एमएसएमई क्षेत्र के लिए आईपीआर पर अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रस्ताव जमा करने हेतु फार्म	26
V	'पेटेंट' संबंधी वित्तीय सहायता के अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप	28
VI	जीआई पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन फार्म	31
VII	एमएसएमई के लिए आईपी सुविधा केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन फार्म	32
VIII	एमएसएमई क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कार्यकलापों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए फार्म	34

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

सीआईआई	–	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीवी	–	करीक्यूलम वाइटी
सीबीटी	–	जैवप्रौद्योगिकी विभाग
डीआईपी एंड पी	–	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीआईटी	–	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएसआईआर	–	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
डीएसटी	–	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
ईयू-टीआईडीपी	–	यूरोपीय संघ-व्यापार एवं निवेश विकास कार्यक्रम
ईएम	–	उद्यमी ज्ञापन
फिक्की	–	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर परिसंघ
गैट	–	जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड
जीआई	–	भौगोलिक संकेत
जीओआई	–	भारत सरकार
एचआरडी	–	मानव संसाधन विकास
आईएफडब्ल्यू	–	इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग
आईआईएफटी	–	भारतीय व्यापार संस्थान
आईआईटी	–	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपी	–	बौद्धिक संपदा
आईपीआर	–	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईटी	–	सूचना प्रौद्योगिकी
जेसीएम	–	संयुक्त परामर्शी पद्धति
जेपीओ	–	जापान पेटेंट ऑफिस
केआईपीए	–	कोरियन इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी एजेंसी
केआईपीओ	–	कोरियन इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी ऑफिस
एलटी	–	दीर्घकालिक
एमओईएफ	–	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
एमओयू	–	समझौता ज्ञापन
एमएसएमई	–	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एनजीओ	–	गैर-सरकारी संगठन
एनआईआईपीएम	–	राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान
एनआरडीसी	–	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
पीसीटी	–	पेटेंट सहयोग संधि
पीएफसी	–	पेटेंट सुविधा केंद्र
पीआईसी	–	परियोजना कार्यान्वयन समिति
आर एंड डी	–	अनुसंधान व विकास
एसआरसी	–	वैज्ञानिक/स्टाफ अनुसंधान परिषद
एसटी	–	अल्पकालिक
टीआईएफएसी	–	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्
ट्रिप्स	–	बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू
यूजीसी	–	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएसपीटीओ	–	यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस
डब्ल्यूआईपीओ	–	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता निर्माण योजना का कार्यान्वयन

1 परिचय

बदलते वैश्विक परिदृश्य में, आईपीआर के मुद्दों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए विशेष महत्व अर्जित कर लिया है। आईपीआर संरक्षण बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकीय फायदों के अर्थ में प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने में एक अहम् भूमिका निभाता है। यह महसूस किया गया है कि भारत में उद्योगों को विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र द्वारा, आईपीआर पर अधिक ध्यान दिए जाने और उसे समझने की जरूरत है।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को अपनी बौद्धिक शक्तियों को संरक्षित करने के लिए अधिक सूचना, अनुकूलन और सुविधाओं की आवश्यकता है। जबकि अधिकांश देशों ने अपने उद्योगों और व्यापारों के सशक्तीकरण के लिए मजबूत आईपीआर सुरक्षा कार्यान्वित करने के लिए रणनीतियां अपनाई हैं, भारतीय उद्योग, खासकर एमएसएमई आईपीआर के महत्व को समझने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक व्यावसायिक रणनीति के रूप में आईपीआर को अपनाने में पिछड़ रहे हैं।

2005-06 के बजट में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की स्थापना के संबंध में एक घोषणा की गई जिसमें एसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) की कल्पना की गई। एनएमसीपी का ही एक घटक एमएसएमई के लिए 'बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता निर्माण' है। तदनुसार, एमएसएमई को उदारीकरण की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए, आईपीआर संबंधी विभिन्न कार्यकलाप, इस योजना के तहत प्रस्तावित हैं।

2 उद्देश्य

इसका उद्देश्य एमएसएमई के विचारों और व्यावसायिक रणनीतियों को सुरक्षित रखने के उपायों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में एमएसएमई की सजगता बढ़ाना है। एमएसएमई द्वारा आईपीआर माध्यमों के प्रभावी उपयोग से उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

3 मुख्य कार्यकलाप

इस योजना के तहत प्रस्तावित मुख्य कार्यकलाप और वित्तपोषण सीमाओं में मोटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

क्र.सं.	कार्यकलाप	अधिकतम अनुदान प्रति आवेदन/प्रस्ताव (रुपये लाखों में)
(क)	आईपीआर के संबंध में जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम	1.00
(ख)	उद्योगों के चुनिंदा क्लस्टरों/समूहों के लिए पायलट अध्ययन	2.50
(ग)	इंटरेक्टिव सेमिनार/कार्यशालाएं	2.00
(घ)	विशेषीकृत प्रशिक्षण (i) अल्पकालिक (अ.का.) (ii) दीर्घकालिक (दी.का.)	 6.00 45.00
(ङ)	पेटेंट/जीआई पंजीकरण पर अनुदान के लिए सहायता (i) घरेलू पेटेंट (ii) विदेशी पेटेंट (iii) जीआई पंजीकरण	 (i) 0.25 (ii) 2.00 (iii) 1.00
(च)	'एमएसएमई के लिए आईपी सुविधा केंद्र' की स्थापना	65.00
(छ)	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ विचार विमर्श (i) घरेलू हस्तक्षेप (ii) अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम	 (i) 5.00 (ii) 7.50

4 परिभाषा और पात्रता

प्रतिभागी	परिभाषाएं	आवेदक के रूप में पात्रता
एमएसएमई इकाइयां	• पंजीकृत अथवा ईएम क्रेडेंशियल वाली इकाइयां (पुष्टि उपरांत)	3(ङ) (i) तथा (ii)
एमएसएमई संगठन	• उद्योग संघ, सोसाइटी/कोआपरेटिव/फर्म/एमएसएमई का प्रतिनिधित्व करने वाले या उनके लिए काम करने वाले एनजीओ समेत ट्रस्ट और अन्य निकाय/एमएसएमई की सहायता के ट्रैक रिकार्ड वाले तकनीकी, शोध और शैक्षिक संस्थान, तथा विश्वविद्यालय	3(क), (ख), (ग), (घ), (ङ)(iii) (च), (छ)
सक्षम एजेंसियां	• पायलट अध्ययन आयोजित करने की अच्छी तकनीकी व वित्तीय क्षमताओं और कम से कम पांच वर्षों के पिछले अनुभव वाले सलाहकार संगठन, शोध संस्थान, वैयक्तिक विशेषज्ञ या एजेंसियां	3(ख)

विशेषज्ञ एजेंसियां	• टीआईएफएसी (विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग), पेटेंट फेसिलिटेशन सेंटर, एनआरडीसी, भारतीय पेटेंट ऑफिस (डीआईपी एंड पी), रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, डीबीटी, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, एमओएचआरडी, एनआईआईपीएम, आईआईटी, लॉ स्कूल, पेटेंट अटार्नी, वैयक्तिक आईपीआर विशेषज्ञ, डब्ल्यूआईपीओ, ईयू-टीआईडीपी, यूएसपीटीओ, केआईपीओ/केआईपीए, आईआईएफटी, डीआईटी, एमओईएफ, एमएसएमई मंत्रालय, डीएसआईआर और अन्य ऐसे निकाय	(i) उपरोक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित अनुसार विभिन्न कार्यकलाप आयोजित करने में पात्र आवेदक द्वारा विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है। (ii) आवेदक के रूप में पात्रता-3(क), (ग), (घ), (छ)
आईपीआर सुविधा एजेंसियां	• स्वायत्त या वाणिज्यिक तर्ज पर चलाए जा रहे अर्धसरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त निकाय • निजी इकाइयां बशर्ते उन्हें एमएसएमई उद्योग संघों द्वारा प्रायोजित किया गया हो	3(च) और (छ) 3(च)

5 कार्यान्वयन, मूल्यांकन और निगरानी की विधियां

(i) इस योजना की निगरानी अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) की प्रमुखता में एक संचालन समिति द्वारा की जाएगी जो सर्वोच्च निर्णायक निकाय होगा। संचालन समिति इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करेगी और अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) या अपर विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे और इनमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि होंगे:

एनएमसीसी
डीआईपी एंड पी
कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंटस, डिजाइन, ट्रेडमार्क
रजिस्ट्रार आफ जीआई
डीएसटी
एचआरडी
यूजीसी
आईआईटी
डीएसआईआर
डीआईटी
डीबीटी
एमओईएफ
कृषि व सहकारी विभाग

(ii) इसमें उद्योग संघों के प्रतिनिधि, आईपीआर विशेषज्ञ, मुख्य आईपीआर अटार्नी, आईएफ विंग के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। संयुक्त विकास आयुक्त (एमएसएमई) या अपर विकास आयुक्त (एमएसएमई) सदस्य-सचिव होंगे।

(iii) समिति बाहर से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है और कम से कम चार महीने में एक बार उसकी बैठक होगी। समिति के पास व्यक्तिगत बैठकों के लिए सदस्यों को चुनने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता आधारित सलाहकार नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(iv) व्यापक परामर्श के बाद, संचालन समिति एक आईपीआर विशेषज्ञ या एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की अध्यक्षता में एक परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) गठित कर सकती हैं जो कार्यक्रम के दैनिक कार्यान्वयन और इन दिशानिर्देशों के संपूर्ण ढांचे के भीतर विशिष्ट प्रस्तावों के अनुमोदन की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगी। परियोजना कार्य समिति का रिव्यू समय-समय पर होता रहेगा ताकि एमएसई क्षेत्र हेतु उपलब्ध नवीन आईपीआर आवश्यकताओं हेतु इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल हो सकें।

(v) बाद के अनुच्छेदों में दिए गए विवरणों के अनुसार योजना के तहत कार्यकलापों पर प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदनों की सिफारिश करने के लिए विशेष रूप से गठित पीआईसी द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पीआईसी के निर्णय यदि कोई हों तो संचालन समिति के सामने उन्हें अवलोकन और निर्देश प्राप्त करने के लिए रखा जाएगा।

6 आईपीआर पर जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम

(i) **उद्देश्य:**

इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सामान्य तौर पर आईपीआर संबंधी मामलों पर जागरूकता बढ़ाने में एमएसएमई, उद्योग संघों तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों की मदद और सहयोग करना और विशेष रूप से उन्हें आईपीआर के मूल्य और सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था में उसके लाभों के बारे में शिक्षित करना है। एमएसएमई के लिए कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य हैं:

- आईपीआर मुद्दों के बारे में जागरूकता और रुचि/ज्ञान का स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना।
- नवीन प्रक्रिया रणनीतियों और व्यावसायिक नियोजन में आईपी को समन्वित करने की आवश्यकता की एक विस्तृत समझ विकसित करना।
- अधिकारों के अधिक पंजीकरण और अपंजीकृत सुरक्षा विधियों के अधिक प्रयोग द्वारा आईपी उपलब्धियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना।
- उल्लंघनों से आईपीआर को सुरक्षित करना।
- नकल का प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ाना।

(ii) **कार्यक्षेत्र और कवरेज:**

संवेदीकरण कार्यक्रम सामान्य तौर पर 1 से 2 दिनों की अवधि के होंगे जिनमें लगभग 30 भागीदार/लाभार्थी होंगे। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय/क्षेत्र कवर किए जाएंगे:

- पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए लेआउट डिजाइन, प्लांट ब्रीडर राइट्स, आदि जैसे आईपीआर माध्यमों से परिचित कराना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आईपी कानून।
- पंजीकरण की प्रक्रिया।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मूलभूत तत्व।

- पेटेंटिंग और पेटेंट कानून।
- आईपीआर नीतियां और उसका प्रबंधन।
- नकल और चोरी की समस्याएं।
- अधिकारों को लागू करना।
- ट्रिप्स समझौता।

तथापि, उपरोक्त उल्लिखित विषयों की सूची अनन्य नहीं है और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय चुने जाएं और स्थानीय महत्व के मुद्दों को भी जहां उचित हो, शामिल किया जाए।

(iii) **अनुदान का घटक:**

भारत सरकार इन संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 1 लाख रुपये प्रति कार्यक्रम तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें, जहां भी आवश्यक हो, स्थान के लिए किराये, प्रशिक्षण सामग्री, ऑडियो/वीडियो उपकरणों, अतिथि फैकल्टी के लिए टीए/डीए और मानदेय, परिवहन पर व्यय, स्टेशनरी मदों की खरीद, जलपान और अन्य विविध व्यय शामिल होंगे। सरकारी सहायता केवल प्रस्तावित कार्यक्रम के संगठनात्मक व्यय के लिए है और उपस्करों जैसे बड़े मदों के लिए नहीं। निजी भागीदारों का न्यूनतम शेयर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए दी गई कुल भारत सरकार की वित्तीय सहायता का 10% होगा।

(iv) **वित्तपोषण प्रारूप:**

सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी। स्वीकृत राशि का 50% तब जारी किया जाएगा जब उस प्रस्ताव को परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और शेष राशि व्यय के अपेक्षित लेखापरीक्षित विवरण, कार्यक्रम की अंतिम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों, आदि की प्राप्ति के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।

(v) **विशेषज्ञ एजेंसियां/फैकल्टी:**

उपरोक्त क्रम सं. 4 में उल्लिखित अनुसार ऐसे कार्यक्रमों में उनकी सहायता ली जा सकती है।

(vi) **आवेदन:**

पात्र संगठन संलग्न प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं (अनुबंध I)।

7 चुनिंदा क्लस्टरों/उद्योगों के समूह के लिए पायलट अध्ययन

(i) **उद्देश्य:**

चुनिंदा एमएसएमई क्लस्टरों/उद्योगों की आईपी जरूरतों की पहचान के लिए पायलट अध्ययन करवाने हेतु उपरोक्त अनुच्छेद 4 में उल्लिखित अनुसार पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और आईपी पोर्टफोलियो को और सशक्त करने के लिए उपायों की सिफारिश करना कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य हैं:

(क) विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों के बेहतर आईपी प्रबंधन के लिए रणनीतियां और क्रियाविधियां विकसित करने के लिए अपेक्षित सूचना और जानकारी सृजित करना।

(ख) आईपी प्रबंधन की समस्याओं के समाधान सुझाना।

(ग) आईपीआर के विविध और उभरते क्षेत्रों में एमएसएमई आधार को मजबूत करना।

(घ) क्लस्टर क्षेत्र विशिष्ट आईपी आवश्यकता प्रबंधन से संबंधित नीतिगत निर्णय सुझाना।

(ii) **कार्यक्षेत्र और कवरेज:**

एमएसएमई मंत्रालय एमएसई क्लस्टरों और विशिष्ट उद्योगों की आवश्यकताओं पर आधारित अध्ययन करवाए अथवा उपरोक्त अनुच्छेद 4 में उल्लिखित अनुसार विशेषज्ञ एजेंसियों को आमंत्रित करे जो निम्नलिखित के दस्तावेजी प्रमाण देते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें:

(क) ऐसे कार्य करने में अनुभव।

(ख) कार्य को पूरा करने की क्षमता।

(ग) आधारभूत संरचना सुविधाएं।

(घ) आईपीआर प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता की उपलब्धता।

(iii) **पात्रता:**

जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद 4 में उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र विशिष्ट अनुभव और अध्ययन के प्रबंधन के लिए इन-हाउस क्षमता एक अतिरिक्त लाभ होगा। इन आवेदकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित मानदंडों पर मूल्यांकित किया जाएगा:

- संगठन और व्यवस्था के आवश्यक प्रमाण।
- मुख्य व्यवसाय और अनुभव।
- तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमता।
- आईपी और संबंधित विषयों में निष्पादन रिकार्ड।
- प्रस्तावित कार्य के लिए कार्यप्रणाली और कार्य योजना।
- नियत कार्य के क्षेत्र में अनुभव और टीम के मुख्य सदस्यों की पात्रता (पूर्णकालिक और अंशकालिक अलग-अलग)।
- रिपोर्ट पूरी करने और प्रस्तुत करने के लिए संभावित समयावधि।

इसमें से चुने गए आवेदकों को इसके बाद दो बोलियों वाली व्यवस्था में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें 'तकनीकी' और 'वित्तीय' बोलियां अलग-अलग लिफाफों में सीलबंद करके एक बड़े सीलबंद लिफाफे में रखी हों और उसके बाद उन्हें विहित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक उद्योग संगठन प्रस्ताव करता है (आवश्यक ब्यौरों के साथ सादे कागज पर), भारत सरकार अनुदान के लिए आवेदन पर सिर्फ घटक, एजेंसी के लिए विचार किया जाएगा और उसे सीधे दे दिया जाएगा। उद्योग संगठन का प्रस्ताव अध्ययन की आवश्यकता को स्थापित कर सकता है, लेकिन एजेंसी के चयन पर परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) द्वारा निर्णय किया जाएगा।

(iv) **अनुदान का घटक:**

भारत सरकार मुख्य रूप से पायलट अध्ययन करवाने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के खर्च को पूरा करने के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति पायलट अध्ययन का एक वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। निजी भागीदार, यानि एमएसएमई क्लस्टर निकाय को भारत सरकार के वित्तीय सहयोग के न्यूनतम 10% के बराबर निधियां प्रदान करनी होंगी, साथ ही अध्ययन के अपेक्षित अन्य सुविधाएं और आंकड़े भी प्रदान करने होंगे।

(v) **वित्तपोषण प्रारूप:**

भारत सरकार सहायता सीधे विशेषज्ञ एजेंसियों को निम्नलिखित शर्तों पर जारी की जाएगी:

- नियत कार्य सौंपे जाने पर 35%
- प्रारूप रिपोर्ट 35%
- अंतिम रिपोर्ट की मंजूरी 30%

(vi) **आवेदन कैसे करें:**

पात्र आवेदक अनुबंध II में दिए गए प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

8 इंटरेक्टिव सेमिनार/कार्यशालाएं

(i) **उद्देश्य:**

इस कार्यकलाप का मुख्य उद्देश्य आईपीआर के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान, अनुभव बांटने और सामूहिक जागरूकता फैलाने के लिए एमएसएमई उद्यमियों, उद्योग संघों और एमएसएमई क्षेत्र का कार्य अनुभव रखने वाले पेशेवरों सहित अन्य स्टेकहोल्डरों को एक मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- पहचाने गए क्लस्टरों/उद्योगों की आईपी आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से तैयार संगोष्ठियां/कार्यशालाएं।
- पायलट अध्ययन की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए।
- उद्योग/क्लस्टर विशिष्ट आईपी अंगीकरण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए।

(ii) **कार्यक्षेत्र और कवरेज:**

संगोष्ठियों/चर्चाओं/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के लिए प्रस्तावों में विशिष्ट क्लस्टर/उद्योग के स्टेकहोल्डरों/लाभार्थियों के बीच विस्तृत समझ विकसित करने के लिए आईपीआर संबंधी विषय पर उचित जोर होना चाहिए। निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन्हें क्लस्टरों/उद्योगों की समकालीन आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है:

- पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए लेआउट डिजाइन, प्लांट्स ब्रीडर्स के अधिकार, आदि जैसे आईपीआर माध्यमों का परिचय।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आईपी कानून।
- पेटेंट कानून।

- जैव-विविधता सहित व्यापार पर्यावरण।
- पौध प्रकार सुरक्षा और कृषक अधिकारों का परिचय।
- पंजीकरण की प्रक्रिया।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मूलभूत तत्व।
- आईपीआर का प्रबंधन।
- नकल और चोरी की समस्याएं।
- अधिकारों को लागू करना।
- सफलता की कहानियां और बेहतरीन व्यवहार।
- ट्रिप्स समझौता, पेटेंट सहयोग समझौता (पीसीटी)।

तथापि, उपरोक्त उद्धृत विषय अनन्य नहीं हैं और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। लक्ष्य समूह को ध्यान में रखते हुए विषय चुने जाएंगे और जहां भी उपयुक्त हो, स्थानीय महत्व के मुद्दों को शामिल किया जाएगा। लगभग 40 प्रतिभागियों/लाभार्थियों के लिए इन कार्यक्रमों की अवधि एक-दो दिन होगी।

(iii) **अनुदान का घटक:**

भारत सरकार इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 2 लाख रुपये तक प्रति कार्यक्रम की वित्तीय सहायता दे सकती है। भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में मुख्य रूप से स्थान के लिए किराये, प्रशिक्षण सामग्री, ऑडियो/वीडियो उपकरणों, अतिथि फैकल्टी के लिए टीए/डीए और मानदेय, परिवहन पर व्यय, स्टेशनरी मदों की खरीद, जलपान और अन्य विविध व्यय शामिल हैं। वित्तीय सहायता केवल प्रस्तावित कार्यक्रम के संगठनात्मक व्यय के लिए होती है, निर्माण, उपस्करों, ऑटोमेशन, आदि जैसे बड़े मदों के लिए नहीं।

निजी भागीदारी, यानि, प्रतिभागी, क्लस्टर समूह या क्षेत्र के भीतर उद्योग या उद्योग संघ, संस्थान या चैंबर कार्यक्रम के आयोजन के लिए दी जाने वाली कुल भारत सरकार सहायता के 10% के बराबर राशि का योगदान (न्यूनतम के रूप में) करेंगे।

(iv) **वित्तपोषण प्रारूप:**

सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी। स्वीकृत राशि का 50% तब जारी किया जाएगा जब उस प्रस्ताव को परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और शेष राशि व्यय के अपेक्षित लेखापरीक्षित विवरण, कार्यक्रम की अंतिम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों, आदि की प्राप्ति के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।

(v) **विशेषज्ञ एजेंसियां/फैकल्टी:**

उपरोक्त क्रम सं. 4 में उल्लिखित अनुसार ऐसे कार्यक्रमों में उनकी सहायता ली जा सकती है।

(vi) **आवेदन कैसे करें:**

पात्र संगठन अनुबंध III में दिए गए प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

(vii) **संदर्भ बिंदु:**

जैसा अनुबंध में लागू है, सिर्फ वित्त पोषण प्रारूप को छोड़कर।

9 विशेषीकृत प्रशिक्षण (अल्पकालिक/दीर्घकालिक)

(i) **परिचय:**

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में एमएसएमई क्षेत्र की क्षमता बनाने और उसे विकसित करने के लिए कुशल मानव संसाधन के सृजन की अत्यंत आवश्यकता है जो आईपीआर और वाणिज्यीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम (अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों अवधि के) आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि बौद्धिक संपदा के सभी क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्र के क्षमता निर्माण और जानकारी में वृद्धि हो सके।

(ii) **उद्देश्य:**

प्रशिक्षण के द्वारा आईपीआर संबंधी ज्ञान और कौशलों के प्रभावी हस्तांतरण में मदद के लिए तकनीकी सूचनाएं और समर्थन क्रियाप्रणाली प्रदान करना ताकि समाज के विभिन्न क्षेत्र—एमएसएमई सहित उद्योग, शैक्षिक और शोध संस्थाएं, शिक्षाविद् विद्यार्थी, उद्यमी लाभान्वित हों। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य कुशल लोगों की उपलब्धता को बढ़ाना है जिनकी सेवाओं को विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को उनकी विशिष्ट आईपीआर आवश्यकताओं में प्रशिक्षित/संवेदीकृत करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। प्रशिक्षण से लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा सुरक्षित करते हुए आईपीआर के क्षेत्र में काम करने के लिए उपयुक्त जानकारी प्रदान होगी। आईपी सुरक्षा निम्नलिखित में मदद करेगी:

- किसी कंपनी के उत्पादों या सेवाओं की नकल करने से प्रतिस्पर्धियों को रोकना।
- अनुसंधान व विकास और मार्केटिंग में व्यर्थ निवेश को रोकना।
- ट्रेडमार्क व ब्राडिंग रणनीति के माध्यम से एक कारपोरेट पहचान सृजित करना और कंपनी का बाजार मूल्य बनाना।
- विदेशी बाजार को संरक्षण प्राप्त करना।

(iii) **कार्यक्षेत्र और कवरेज:**

अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 2-3 सप्ताह और दीर्घकालिक कार्यक्रमों की अवधि 3-6 माह होगी। प्रतिभागियों की संख्या अल्पकालिक (एसटी) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 25 और दीर्घकालिक (एलटी) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 20 से कम नहीं होना चाहिए। एसटी कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित विषय कवरेज और क्षेत्रों की श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- **व्यापक बौद्धिक संपदा प्रबंधन कार्यक्रम:** बहुविषयक कार्यक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन के प्रकार्यात्मक क्षेत्रों को आईपी अर्थशास्त्र और आईपी कानून, केस स्टडीज के माध्यम से एक कार्यनीतिक परिसंपत्ति और माध्यम के रूप में आईपी की भूमिका, बेहतरीन आईपी व्यवहार, नवप्रवर्तक शिक्षण, उत्तोलन, बेहतर तथा स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए आईपी की सहायता से संबद्ध किया जाएगा।

- **विशेषीकृत बौद्धिक संपदा प्रबंधन कार्यक्रम:** व्यवसाय प्रबंधन के प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में आईपी क्षमताएं विकसित करने के लिए उसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और कॉपीराइट जैसे आईपी टूल्स शामिल होंगे जिनका नवीन प्रक्रिया, विपणन या वित्त बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक रूप से लाभ उठाया जा सकेगा।

- **विशेषीकृत बौद्धिक संपदा कौशल और सक्षमता विकास कार्यक्रम:** व्यवसाय संगठनों में विशिष्ट आईपी कौशल और क्षमताएं विकसित करना जैसे पेटेंट विनिर्देश तैयार करना, पेटेंट तलाश और मैपिंग, लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिक हस्तांतरण, आईपी ऑडिट और मूल्यांकन, आईपी कांफ्लिक्ट प्रबंधन (लिटिगेशन, मिडिएशन और मध्यस्थता), पीसीटी सहित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से आविष्कारों, ट्रेडमार्क को सुरक्षित करने की विधियां।

- **उद्योग विशिष्ट कार्यक्रम:** आईपीआर परिदृश्य पर विशेष बल देते हुए किसी खास क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और विनियामक वातावरण के विश्लेषण के साथ उद्योग विशिष्ट क्षेत्र (यानि, फार्मास्यूटिकल्स, जैवप्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, आदि) के लिए कार्यनीति विकसित करना।

- **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:** इन कार्यक्रमों का आईपी प्रबंधन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/वाणिज्यीकरण, आदि में मूल योग्यता/क्षमता निर्माण में प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कानूनी, तकनीकी, आईपी के प्रबंधकीय पहलुओं में उनके प्रशिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए।

(iv) **दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

राष्ट्रीय स्तर के आईपी संस्थानों/विश्वविद्यालयों/विधि विद्यालयों/तकनीकी संस्थानों, आदि द्वारा 3-6 माह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद डिप्लोमा/प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ, आईपी के मूलभूत सिद्धांतों पर माड्यूल्स, पेटेंटिंग और पेटेंट कानून, लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी का प्रबंधन और प्रयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मूलभूत तत्वों, समझौता कौशल, व्यवसाय विकास, आईपीआर मामलों पर कानूनी समाधानों का व्यावहारिक और व्यापक दृष्टिकोण, शामिल होंगे। प्रतिभागियों को बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों से परिचित कराने और अनुभव बांटने, आदि में मदद करने के लिए केस अध्ययन और फील्ड दौरे भी कार्यक्रम का एक हिस्सा होंगे। इन कार्यक्रमों में कॉपीराइट, जैव प्रौद्योगिकी और आईपी, ई-कामर्स और आईपी, आईपी सुरक्षा के लिए मध्यस्थता पद्धति सहित कानूनी सुरक्षोपाय, आदि जैसे उन्नत पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

तथापि, उपरोक्त सूची विशिष्ट नहीं है और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। जहां भी आवश्यक हो, लक्ष्य समूह और स्थानीय महत्व के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए विषय चुने जा सकते हैं।

(v) **पात्रता और अनुदान:**

उपरोक्त अनुच्छेद 4 में उल्लिखित विशेषज्ञ एजेंसियां पात्र हैं और प्रशिक्षु एमएसएमई तथा उनके संबंधित निकायों से हो सकते हैं। कानूनी या वाणिज्यिक या प्रबंधकीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थी भी एसटी कोर्सों के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में पात्र होंगे और इन कोर्सों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले एलटी कोर्स के लिए पात्र होंगे।

भारत सरकार अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए 6 लाख रुपये और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए 45 लाख रुपये की एकमुश्त राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

भारत सरकार की वित्तीय सहायता से मुख्य रूप से शिक्षकों/विशेषज्ञों पर होने वाला व्यय, प्रतिभागियों के रहने व ठहरने, पाठ्य सामग्री, फील्ड दौरों तथा अन्य संबंधित व्यय किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को प्रायोजित करने वाले लाभार्थियों/उद्योग संघों को प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता के 10% का योगदान करना होगा।

वित्तीय सहायता केवल प्रस्तावित कार्यक्रम के संगठनात्मक व्यय के लिए है, और बड़े मदों, जैसे निर्माण, उपस्करों, ऑटोमेशन, आदि के लिए नहीं है और उसे अनुबंध-IV के माध्यम से मांगा जा सकता है, जिसमें और निबंधन व शर्तें दी गई हैं।

(vi) **वित्तपोषण प्रारूप:**

सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी। स्वीकृत राशि का 50% प्रस्ताव को परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) द्वारा अनुमोदित किए जाने पर जारी किया जाएगा और शेष राशि कोर्स समाप्त होने के तीन माह होने पर व्यय के अपेक्षित विवरण, कार्यक्रम की अंतिम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों, आदि की प्राप्ति के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।

10. वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों के तहत पंजीकरण और पेटेंट दिए जाने पर वित्तीय सहायता

(i) **परिचय:**

किसी नए आविष्कार के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त विशिष्ट अधिकार पेटेंट होता है, जिसमें वह किसी आविष्कार शील कदम में शामिल होने और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम है। यह पेटेंट के स्वामी को अपनी अग्रिम अनुमति के बिना पेटेंट कराए हुए आविष्कार पर आधारित किसी उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माण, इस्तेमाल, बिक्री के प्रस्ताव, बिक्री या आयात करने से दूसरों को रोकने का विशिष्ट अधिकार देता है। पेटेंट किसी नए उत्याद या प्रक्रिया पर विशिष्ट अधिकार प्राप्त करने, एक मजबूत बाजार स्थिति विकसित करने और लाइसेंसिंग के द्वारा अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए कंपनियों हेतु एक सशक्त व्यावसायिक माध्यम है।

भौगोलिक संकेत (जीआई) ऐसे उत्पादों से जुड़े नाम हैं जो उत्पादों को कृषि उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद या विनिर्मित उत्पाद या किसी देश या एक क्षेत्र या स्थान में विनिर्मित उत्पाद के रूप में पहचान देते हैं, जहां ऐसे उत्पादों की किसी खास विशेषता, प्रतिष्ठा या अन्य गुणों को उसके भौगोलिक मूलस्थान से जोड़ा जाता है। एक जीआई उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ पहचाना जा सकता है। यह उत्पादों के मूल्य की पुष्टि करता है, जो पहले से अस्तित्व में होते हैं।

(ii) **उद्देश्य:**

वैश्वीकरण के इस युग में अपने आविष्कार/अनुसंधान व विकास को सुरक्षित करने या जीआई अधिनियम के तहत अपने स्थान के साथ लोगों के दिमाग में अपने परंपरागत उत्पाद या प्रक्रिया से संबद्धता पर अपना अधिकार सुरक्षित करने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करना।

(iii) **कार्यक्षेत्र और कवरेज:**

उपरोक्त अनुच्छेद 4 में उल्लिखित अनुसार पात्र आवेदक को पेटेंट (घरेलू/विदेशी) प्रदान किए जाने और जीआई एक्ट के तहत उनके उत्पादों के पंजीकरण पर एकमुश्त भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(iv) **अनुदान का घटक**

इस योजना के तहत, पंजीकृत भारतीय एमएसएमई को घरेलू पेटेंट दिए जाने पर अधिकतम 25,000 रुपये और विदेशी

पेटेंट के लिए 2 लाख रुपये तक एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्पादों के भौगोलिक संकेत अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए, एकमुश्त वित्तीय सहायता 1 लाख रुपये तक सीमित होगी। भारत सरकार की सहायता आवेदक को प्रतिपूर्ति के रूप में होगी। अनुदान की राशि वास्तविक या उपरोक्त उल्लिखित उच्चतम सीमा, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(v) **वित्तपोषण प्रारूप**

आवेदक अनुबंध V और VI में दिए गए प्रारूप में प्रतिपूर्ति के लिए अपना अनुरोध जमा कर सकते हैं। यदि आवेदन सहायता पर विचार के लिए पात्रता और स्वीकार्यता मानदंड को संतुष्ट करता है, तो प्रतिपूर्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी और भुगतान सीधे लाभार्थी को किया जाएगा।

(vi) **आवेदन कैसे करें**

उपरोक्त अनुच्छेद 4 में उल्लिखित अनुसार पात्र आवेदक क्रमश: पेटेंट और जीआई की प्रतिपूर्ति के लिए अनुबंध V या अनुबंध VI में दिए गए प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

- प्रतिपूर्ति ब्यौरा।
- उत्पाद ब्रोशर।
- जीआई के मामले में उत्पादों की संख्या।
- पिछले 2 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (फर्म/कंपनी के मामले में)।
- आवेदक उद्योगों/उत्पादकों/उद्यमियों के पंजीकरण की प्रति।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेटेंट/जीआई के पंजीकरण दिए जाने के प्रमाण की प्रति।

11 एमएसएमई के लिए आईपी सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु सहायता

(i) **परिचय:**

एक व्यावसायिक माध्यम के रूप में आईपीआर की पहचान, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियों तक पहुंच में एमएसएमई और अन्य भावी उद्यमियों की सहायता करना।

(ii) **उद्देश्य:**

आईपी सुविधा केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई और अन्य लक्षित लाभार्थियों को अपनी बौद्धिक संपदा संबंधी आवश्यकताओं के बेहतर प्रबंधन के लिए आईपी माध्यमों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

केन्द्र के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार होंगे:

- पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, आदि के संबंध में सर्चिंग/मैपिंग, आदि के लिए कंप्यूटरीकृत सुविधाएं प्रदान करना।
- पेटेंट दिए जाने, जीआई, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेड मार्क, आदि के लिए एक आवेदन दाखिल करने के बारे में बुनियादी सूचना प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकियों के सफल हस्तांतरण और वाणिज्यीकरण को सुगम बनाना।
- प्रौद्योगिकी गठजोड़ों और बढ़ती आवश्यकताओं के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए भावी ग्राहकों के साथ सहयोग में मदद देना।

- बेहतरीन आईपीआर पद्धतियों के संबंध में सूचना प्रदान करना।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में आवेदन दाखिल करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों, आदि की लाइसेंसिंग से संबंधित अन्य दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- उल्लंघन, पेटेंट/औद्योगिक डिजाइनों के दुहराव जैसे मुद्दों पर उपलब्ध कानूनी समाधानों पर लाभार्थियों को सलाह देना।

ये केंद्र राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों/क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालयों और आईपीआर संबंधी मामलों पर कार्यान्वयन करने वाली राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के निकट सहयोग से काम करेंगे।

(iii) **कार्यक्षेत्र और कवरेज:**

इस कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए 40 आईपी सुविधा केंद्र स्थापित करने का पस्ताव है। वर्तमान में, टीआईएफएसी के तहत विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने पेटेंट प्राप्त करने और डीएसटी, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थानों और केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/एजेंसी से उत्पन्न आविष्कारों के संबंध में पेटेंट के बाद होने वाली कार्रवाई के लिए तकनीकी, कानूनी और वित्तीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से 20 पेटेंट सुविधा केंद्र (पीएफसी) स्थापित किए हैं। विद्यमान 20 पीएफसी में उपलब्ध सुविधाओं का टीआईएफएसी के तकनीकी सहयोग से 'एमएसएमई के लिए आईपी सुविधा केंद्र' स्थापित करने के लिए लाभ उठाया जाएगा। आईपी सुविधा केंद्र एमएसएमई को उपरोक्त उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करते हुए उन्हें सभी आईपीआर संबंधी मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा, अभिज्ञात आवश्यकता आधारित एमएसएमई क्लस्टरों और अन्य एमएसएमई क्षेत्रों के लिए भी ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं।

(iv) **पात्रता:**

उपरोक्त अनुच्छेद 4 में उल्लिखित अनुसार पात्र आवेदक एक संयुक्त सहयोगी पद्धति में एक आईपी सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह परियोजना या तो आवेदक द्वारा कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में या एसपीवी की स्थापना के माध्यम से कार्यान्वित की जा सकती है।

(v) **अनुदान का घटक:**

भारत सरकार इन प्रत्येक केंद्रों की स्थापना के लिए 65 लाख रुपये तक की कुल वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें 45 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान और 3 वर्षों तक आवर्ती व्यय के रूप में 18 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। आवर्ती व्यय 3 वर्षों की अवधि में 75%, 60% और 30% के अनुपात में (18 लाख रुपये की कुल उच्चतम सीमा के अंदर) प्रदान किया जाएगा, और शेष व्यय कार्यान्वयक एजेंसी/उपभोक्ता निकाय द्वारा 'उपभोक्ता शुल्क' के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आकस्मिकताओं और अन्य विविध शुल्कों के लिए 2 लाख रुपये का एक प्रावधान किया जाएगा।

इन केंद्रों की स्थापना करते समय, भारत सरकार के लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी। भारत सरकार की वित्तीय सहायता मुख्य रूप से हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुल्क, फर्नीचर व फिक्सचर, नेटवर्किंग, बाहरी सलाहकार की सेवाएं लेना और अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति, दूरसंचार, स्टेशनरी, विविध/संस्थानिक व्यय, अतिरिक्त व्यय, आदि के लिए होगी। इसके अलावा, इन केंद्रों की स्थापना के लिए स्थान कार्यान्वयक एजेंसियों/उपभोक्ता निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा/व्यवस्था की जाएगी।

यह उम्मीद की जाती है कि 3 वर्षों की आरंभिक विकास अवधि के बाद अंततः कार्यालयों की परिसंपत्तियों और संचालन को कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा प्राप्त करके आत्मनिर्भर आधार पर चलाया जाएगा। एक निश्चित समयावधि के अंदर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान ये केंद्र अपनी वित्तपोषण क्रियाविधि सृजित कर लेंगे।

(vi) **वित्तपोषण प्रारूपः**

परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदन के बाद सहायता किस्तों में जारी की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली किस्त व्यय के अपेक्षित विवरण, कार्यक्रम की अंतिम प्रगति और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों, आदि की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी। किस्त की राशि स्थापना के विभिन्न चरणों के दौरान एमएसएमई के लिए आईपी सुविधा केंद्र की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(vii) **आवेदन कैसे करें:**

पात्र आवेदक संलग्न प्रारूप (अनुबंध VII) में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें एक संक्षिप्त परियोजना प्रस्ताव भी जमा करना होगा जिसमें अनुबंध-VII के अनुच्छेद 7 में उल्लिखित अनुसार ब्यौरे निहित हों।

12 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ क्रियाकलाप

(i) **परिचयः**

भारत को एक विकासशील देश के रूप में क्षमता निर्माण कार्यकलापों और अनुभव बांटने के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से एक सक्रिय आईपीआर प्रबंधन प्रदान करते हुए नवप्रवर्तन, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकीय उन्नति के संवर्धन के लिए विकसित देशों के साथ ध्यानपूर्वक काम करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विकसित देशों में आईपीआर कार्यालयों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे विपो, ईयू, जापान पेटेंट ऑफिस (जेपीओ), जर्मन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यू.एस. पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस (यूएसपीटीओ), कोरिया इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी ऑफिस (केआईपीओ), आदि के साथ उपयुक्त लिंकेज और सहयोग विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले विशिष्ट सहयोग कार्यकलापों को एक कार्य योजना के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के परामर्श से संयुक्त रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्य योजना में, कार्य के कार्य क्षेत्र सहित सहयोग कार्यकलाप करने के लिए विस्तृत योजना निर्माण, समय सूची और आवश्यक समझी गई कोई अन्य सूचना शामिल होगी। प्रस्तावित कार्यप्रणाली के ब्यौरे, विशिष्ट कार्यकलापों के लिए विस्तृत मानदंड, आदि को भी पारस्परिक समझौते/समझौता ज्ञापन के रूप में औपचारिक रूप दिया जा सकता है।

(ii) **उद्देश्यः**

सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं:

- विभिन्न देशों के बीच आईपीआर संबंधी सूचना आदान-प्रदान करना।
- वैश्विक रूप से उपलब्ध ज्ञान की अधिप्राप्ति को प्रेरित करते हुए क्षेत्रों में पारस्परिक संपर्क के रास्ते खोलना।
- संयुक्त अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों में भागीदारिता के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों का संवर्धन और सशक्तीकरण करने के लिए पुल बनाना।

- प्रशिक्षण और विनियम कार्यक्रमों के द्वारा हाई-टेक इलाकों में क्षमता निर्माण।
- भारत में एमएसएमई क्षेत्र में आईपीआर के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता को शेयर करना।
- वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझना।
- देश में आईपीआर संबंधी बेहतरीन पद्धतियों का अध्ययन और भारत में एमएसएमई के लिए उन्हें अंगीकृत करने की संभावनाओं की खोज करना।

(iii) **अनुदान का घटक**

भारत सरकार संयुक्त परामर्शी प्रक्रिया/समझौता ज्ञापन से उभरने वाली सिफारिशों के अनुसार अनुमोदित वैज्ञानिक कार्यकलापों के लिए घरेलू हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम के लिए क्रमश: 5 लाख रुपये और 7.50 लाख रुपये प्रति कार्यक्रम की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय आईपीआर एजेंसियों/कार्यालयों को शेयरिंग आधार पर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की लागत को भी वहन करना होगा। कार्यशालाओं/सेमिनारों के मामले में, उनका योगदान मुख्य रूप से टीए/डीए और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अन्य व्यय, आदि के रूप में (घरेलू कार्यक्रमों के मामले में) और आवश्यक लॉजिस्टिक/सहायता, रिसोर्स व्यक्तियों, आदि (अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के मामले में) होगा। अन्य कार्यकलापों के लिए, पारस्परिक समझौता/समझौता ज्ञापन के रूप में विशेष शेयरिंग विवरण तैयार किए जाएंगे।

निजी लाभार्थियों को भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के मामले में भारत सरकार सहायता के 10% का योगदान करना होगा।

(iv) **आवेदन कैसे करें**

उपरोक्त अनुच्छेद 4 में उल्लिखित अनुसार पात्र आवेदक अनुबंध VIII में संलग्न प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। एमएसएमई मंत्रालय उपरोक्त उल्लिखित अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए कार्यकलापों हेतु प्रस्ताव भी शुरू कर सकता है।

अनुबंध I

जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु आवेदन फॉर्म

नोट : आवेदन की दो प्रतियां जमा करनी होंगी। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल आईडी सहित पूर्ण डाक पते के साथ संगठन का नाम।
2. क्या किसी अधिनियम या विनियम के तहत पंजीकृत या अनुमोदित है (विनिर्दिष्ट किया जाना है) और उसकी तिथि (कृपया पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)।
   (i) प्रबंधन के कार्यकारी निकाय/बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के विवरण, वह तिथि, जिस दिन उसका गठन हुआ था और कार्य अवधि।
   (ii) संगठन की ओर से कार्रवाई करने के लिए नामित/अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम।
   (iii) परियोजना निदेशक का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी।
3. आईपीआर मुद्दे पर या एमएसएमई क्षेत्र के लाभ के लिए हुए काम पर संक्षिप्त टिप्पणी।
4. लक्ष्य समूह, भौगोलिक कवरेज और प्रत्याशित लाभों का विवरण।
5. स्पष्टीकरण के साथ बजट व मद-वार लागत ब्यौरा (संलग्न करें)।
6. कार्यक्रम आयोजित करने की अनंतिम तिथि और स्थल।
7. यह आवेदन जिस संबंध में है, क्या उसी उद्देश्य या कार्यकलाप के लिए किसी अन्य स्रोत से अनुदान मिलने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।
8. किसी अन्य कार्यकलाप के लिए इस कार्यालय से प्राप्त/या प्राप्त होने वाले अनुदानों से संबंधित सूचना (यदि पहले कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कमीशन प्रति की फाइल/पत्र सं. के साथ उसका ब्यौरा)।
9. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो।
10. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
    (i) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
    (ii) ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम, जहां भी लागू हों, की प्रमाणित प्रति।
    (iii) पिछले दो वर्षों के खातों के लेखापरीक्षित विवरण की प्रमाणित प्रति।
    (iv) पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट।
    (v) **व्यय का ब्यौरा**—कार्यक्रम को उपयुक्त रूप से आयोजित करने और कार्यक्रम के आयोजित न होने की स्थिति में आयोग द्वारा दी गई अग्रिम राशि का चेक/राशि वापस करने का वचन देते हुए एक दस्तावेज।

हस्ताक्षर और पदनाम
मुहर सहित

निबंधन व शर्तें

(i) वित्तीय सहायता का इस्तेमाल सिर्फ अनुमोदित कार्यक्रम/कार्यकलाप के आयोजन हेतु किया जाएगा।

(ii) सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी। स्वीकृत राशि का 50% कार्यक्रम, स्थल, मद-वार बजट अनुमान, प्रतिभागियों की संभावित संख्या और संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के तुरंत बाद जारी किया जाएगा।

(iii) शेष राशि (i) चार्टर्ड एकाउंटेंट से उपयोगिता प्रमाणपत्र, (ii) लेखा का विवरण, (iii) मूल वाउचर, (iv) कार्यक्रम के रिसोर्स व्यक्तियों की रिपोर्ट, तथा (v) प्रतिभागियों की सूची के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की तिथि से एक महीने के समय के अंदर प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी।

(iv) सहायता में से किसी उपस्कर/परिसंपत्ति की खरीद नहीं की जाएगी।

(v) सहायता की अविगत राशि वापस कर दी जाएगी।

(vi) संस्वीकृति के किसी निबंधन व शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संगठन को मांग करने पर पूरी संस्वीकृत राशि या उसका एक हिस्सा सरकारी दरों के अनुसार दंडस्वरूप ब्याज के साथ लौटाना होगा।

अनुबंध II

पायलट अध्ययन के आयोजन हेतु आवेदन फार्म

1. संस्थान/संगठन का नाम _____

2. संस्थान/संगठन का पूरा ब्यौरा

   (i) गठन _____

   (ii) स्वामित्व _____

   (iii) संगठनात्मक ढांचा _____

3. संभावित परामर्शदाता के मुख्य कार्यकलाप
   (पूर्णकालिक व्यावसायिकों के ब्यौरों सहित) _____

4. वार्षिक रिपोर्ट या लेखा परीक्षित खाते (पिछले वर्षों के) _____

5. काम में शामिल होने के लिए प्रस्तावित पूर्णकालिक तथा अंशकालिक शोधकर्ताओं के नाम और संक्षिप्त सीवी

   _____

   (सीवी पर अपनी सेवा की उपलब्धता के बारे में लोगों को लिखित रूप से वचनबद्धता की पुष्टि करनी होगी)

6. पिछले पांच वर्षों के दौरान कराए गए इसी प्रकार के प्रमुख कार्यों का विवरण _____

   _____

7. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

   (i) पंजीकरण या समकक्ष प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।

   (ii) ज्ञापन, संस्थान के अंतर्नियम या नियम/विनियम, जैसे भी लागू हों, की प्रमाणित प्रति।

   (iii) पिछले दो वर्षों के खातों के लेखापरीक्षित विवरण की प्रमाणित प्रति।

   (iv) पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट।

   (v) **व्यय का ब्यौरा**—कार्यक्रम का उपयुक्त रूप से आयोजित करने और कार्यक्रम के आयोजित न होने की स्थिति में आयोग द्वारा दी गई अग्रिम राशि का चेक/राशि वापस करने का वचन देते हुए एक दस्तावेज।

8. वित्तपोषण प्रारूप को छोड़कर अन्य निबंधन व शर्तें अनुबंध I की तरह ही होंगी।

हस्ताक्षर और पदनाम
मुहर सहित

अनुबंध III

संगोष्ठी/परिचर्चा/कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु आवेदेन फार्म

1. प्रस्तावित संगोष्ठी/परिचर्चा/कार्यशालाएं/सम्मेलन का शीर्षक
2. कार्यक्रम स्थल और प्रस्तावित तिथि
3. लक्ष्य समूह, प्रतिभागियों की संख्या और लाभ
4. कार्यक्रम को आयोजित करने वाले संगठन/संस्थान का नाम और पता
5. संगठन/संस्थान के कार्य
6. आयोजन समिति, यदि कोई हो, के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम
7. आयोजक संस्थान जिस श्रेणी में आता है:
   (i) पंजीकृत सोसाइटी या इसी प्रकार का निकाय।
   (ii) शैक्षिक संस्थान।
   (iii) सरकारी विभागीय संगठन।
   (iv) अन्य (कृपया विवरण दें)।
8. संबद्धताओं का ब्यौरा, यदि कोई हों (विवरण संलग्न करें)।
9. विशेषज्ञ का नाम तथा योग्यता या संलग्न निर्यात एजेंसी।
10. अतिरिक्त सूचना, यानि प्रस्तावित व्यय एवं अनुदान (संलग्न करें)।
11. संलग्न दस्तावेजों की सूची:
    (i) पंजीकरण या समकक्ष प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
    (ii) ज्ञापन, संस्थान के अंतर्नियम या नियम/विनियम, जैसे भी लागू हों, की प्रमाणित प्रति।
    (iii) पिछले दो वर्षों के खातों के लेखापरीक्षित विवरण की प्रमाणित प्रति।
    (iv) पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट।
    (v) **व्यय का ब्यौरा**—कार्यक्रम को उपयुक्त रूप से आयोजित करने और कार्यक्रम के आयोजित न होने की स्थिति में आयोग द्वारा दी गई अग्रिम राशि का चेक/राशि वापस करने का वचन देते हुए एक दस्तावेज।
12. वित्तपोषण प्रारूप को छोड़कर अन्य निबंधन व शर्तें अनुबंध I की तरह ही होंगी।

हस्ताक्षर और पदनाम
मुहर सहित

अनुबंध IV

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रस्ताव जमा करने हेतु संगठनों/संस्थानों के लिए फार्म

1. संस्थान/संगठन का नाम _____
2. पता _____
3. फोन नंबर

   (i) फैक्स (ii) ई-मेल
4. संगठन/संस्थान का प्रमुख _____
5. आईपीआर संबंधी मामलों पर नोडल व्यक्ति _____
6. संगठन/संस्थान का संक्षिप्त प्रोफाइल (संलग्न करें)
7. कोर्स तथा फैकल्टी के सार/संक्षेप सहित प्रस्तावित प्रशिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी
8. समान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित करने के दस्तावेजी प्रमाण (यदि कोई हों) (संलग्न करें)
9. क्या यह संस्थान या संगठन सरकार या किसी वैधानिक निकाय या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है? यदि ऐसा है, तो संदर्भ संख्या_____
10. क्या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ऐसे ही किसी संगठन से संबद्ध है, यदि हां, तो उसका नाम _____
11. व्यय के आकलन के लिए कार्यकलाप वार ब्यौरों (लागत सहित) के साथ पूर्ण स्पष्टीकरण
12. राज्य सरकारों/केंद्र सरकार या अन्य निकायों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण अनुदानों का एक ब्यौरा, हर मामले में निम्नलिखित चीजें शामिल होनी चाहिएं:

    (i) किस उद्देश्य के लिए यह अनुदान प्राप्त किया गया था/किस प्रकार इस्तेमाल किया गया।

    (ii) जिस कार्यक्रम के लिए सहायता दी गई थी, उसमें हुई प्रगति।

    (iii) क्या पिछली सहायता के लिए सभी शर्तों का उचित प्रकार से पालन किया गया था।
13. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

    (i) उपरोक्त क्रम संख्या 6 से 12 के प्रमाण।

    (ii) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो।

    (iii) संस्थान के पिछले दो वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति, पिछली बैलेंस शीट की एक प्रति के साथ, यदि कोई हो।

हस्ताक्षर और पदनाम

मुहर सहित

आवेदकों के लिए अनुदान/सहायता हेतु निबंधन व शर्तें

(i) संगठन/संस्थान/उद्योग निकाय को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

(ii) शैक्षिक/तकनीकी/शोध संस्थानों को राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से अधिकृत विश्वविद्यालय/संस्थान होना चाहिए।

(iii) अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को एक लिखित वचन देना होगा कि केंद्र या राज्य सरकारों के किसी अन्य प्राधिकारी से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है और यह कि संगठन द्वारा इसी उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान हेतु उनमें से किसी प्राधिकारी के पास आवेदन नहीं किया गया है।

(iv) संगठन को लिखित वचन देना होगा कि अनुदान सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए वह संस्वीकृत है। ऐसा करने में असमर्थ रहने पर संगठन को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ पूरा अनुदान सरकार को वापस करना होगा।

(v) अनुदान के लिए अलग खाते रखे जाएंगे और भारत सरकार द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना निर्धारित समय में प्रस्तुत की जाएगी।

(vi) एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित खातों के एक विवरण द्वारा उपयुक्त रूप से समर्थित इस आशय का उपयोगिता प्रमाणपत्र, कि इस राशि को उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था, कोर्स समाप्त होने की तिथि से तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

(vii) इस योजना के तहत अनुदान पिछली देनदारियों या ऋण को पूरा करने के लिए नहीं दिया जाएगा।

(viii) भारत सरकार किसी भी चरण पर कोई कारण दिए बिना अनुदान के किसी आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार रखती है।

योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाला यदि अनुदान के किसी निबंधन व शर्त को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो वह सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ पूरा अनुदान वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा।

अनुबंध V

'पेटेंट के अनुदान' संबंधी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन का प्रारूप

आवेदन फार्म

भाग-1 आवेदक की सूचना

1.1 आवेदक संगठन का प्रकार

एसएमई		स्टार्ट-अप	

√ सही विकल्प पर निशान लगाएं

1.2 पहले से दाखिल/प्राप्त पेटेंटों की संख्या

राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय

1.3 इस योजना के तहत पहले दाखिल पेटेंटों की संख्या (यदि कोई हों)

1.4 आवेदक कंपनी का नाम व पता

1.5 आवेदक कंपनी की संबंधित सरकारी मंत्रालय/विभाग में पंजीकृत संख्या

1.6 पंजीकरण के अनुसार कंपनी का नाम

1.7 वेबसाइट पता, यदि हो

1.8 कंपनी के मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप की प्रकृति

1.9 संपर्क व्यक्ति का नाम

1.10 संपर्क नंबर

1.11 ई-मेल पता

1.12 भारतीय आवेदन फाइलिंग संख्या और तिथि

संख्या:	दाखिल करने की तिथि:

1.13 आविष्कारक (कों) का नाम व ब्यौरा

सं.	नाम	योग्यता	आयु	पदनाम
1				
2				
3				
4				

1.14 क्या आविष्कार का शोध व विकास मौलिक है, यानि इन-हाउस/सहयोग में विकसित है।

1.15 यदि सहयोग में विकसित है, तो कृपया सहयोग के प्रकार का ब्यौरा दें

भाग-2 आविष्कार/पेटेंट सूचना

2.1 आविष्कार का शीर्षक

2.2 आविष्कार का संक्षिप्त विवरण

2.3 आविष्कारों के तकनीकी/अन्य क्षेत्र

2.4 आविष्कार(रों) के लाभ:

2.5 अग्रिम आर्ट सर्च पर आधारित आविष्कार की नई विशेषताएं (कृपया एक विस्तृत अग्रिम आर्ट सर्च संलग्न करें जिसमें विषय वस्तु का भी स्पष्ट संकेत हो जिस पर सर्च किया गया, सर्च किए गए फील्ड या कीवर्ड, उक्त सर्च के लिए इस्तेमाल किए गए डाटाबेस और आपके आविष्कार की विषयवस्तु के लिए प्रासंगिक समझे गए संबंधित दस्तावेजों का संदर्भ):

2.6 आविष्कार के लिए वाणिज्यीकरण योजनाओं या वाणिज्यीकरण की स्थिति का संक्षिप्त विवरण:

2.7 संभावित बाजार और उसका आधार:

भाग-3 पेटेंट एजेंट/अटार्नी का विवरण

3.1	पेटेंट एजेंटों/अटार्नी फर्म का नाम			
3.2	संपर्क व्यक्ति और उसका टेलीफोन नंबर			
3.3	अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के क्षेत्र में वर्षों की संख्या			
3.4	फर्म का पता			
3.5	क्या अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल कर दिया गया है?	हां		नहीं
3.6	दाखिल करने का माध्यम	पीसीटी		परंपरागत
3.7	दाखिल या प्रस्तावित देश			

उद्घोषणा

आवेदक कंपनी के प्रमुख द्वारा उद्घोषणा

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरित, एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि:

इस आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाएं (और इसके साथ संलग्न सभी दस्तावेज), जहां तक मेरी/हमारी जानकारी है, सत्य और सही हैं, और मैंने/हमने जानबूझकर कोई तथ्य नहीं छिपाया है, जिससे यह आवेदन अवैध हो सकता है। आवेदन के स्वीकृत होने पर, मैं/हम द्विवार्षिक आधार पर या अगले रिलीज से पहले उपयोगिता प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करेंगे। किसी विवाद/समस्या की दशा में, सचिव (एमएसएमई) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में एमएसएमई मंत्रालय को इस संगठन को जारी समूची निधियों की वसूली का अधिकार होगा।

आवेदक के कार्यकारी प्रमुख के हस्ताक्षर व मुहर	कंपनी	तिथि
नाम (बड़े अक्षरों में)		
नागरिकता		

अनुबंध VI

जीआई पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु आवेदन फार्म

1. संगठन/उत्पादकों का नाम व पता
2. संगठन/संस्थान के कार्यकलाप
3. आयोजन समिति, यदि कोई हो, के अध्यक्ष और सदस्य के नाम
4. आयोजन संस्थान जिस श्रेणी में आता है:
   (i) पंजीकृत सोसाइटी या समान निकाय
   (ii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
5. भौगोलिक संकेतक का नाम (और ब्यौरा)
6. उत्पादकों की संख्या
7. पंजीकरण के लाभ
8. जीआई के मूल देश का नाम
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र का ब्यौरा
10. पेटेंट एजेंट/अटार्नी फर्म का नाम व पता
11. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
    (i) पंजीकरण या समकक्ष प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
    (ii) संस्था के अंतर्नियम ज्ञापन या नियम/विनियम, आदि की प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो)
    (iii) पिछले दो वर्षों के खातों के लेखापरीक्षित विवरण की प्रमाणित प्रति, (यदि लागू हो)
    (iv) पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, यदि लागू हो
    (v) एक शपथ पत्र कि आवेदक किस प्रकार व्यक्तियों/उत्पादकों के संघ के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है।

हस्ताक्षर और पदनाम
मुहर सहित

अनुबंध VII

एमएसएमई के लिए आईपी सुविधा केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए आवेदन फार्म

1. प्रस्तावित परियोजना का शीर्षक
2. संगठन/संस्थान का नाम और पता
3. संगठन/संस्थान के कार्यकलाप, संख्या और इकाइयों का आकार (संस्थापित क्षमता के अर्थ में भी) और इकाइयों की संख्या
4. आयोजन समिति, यदि कोई हो, के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम
5. आयोजन संस्थान जिस श्रेणी में आता है:
   (i) पंजीकृत सोसाइटी या समकक्ष निकाय
   (ii) शैक्षिक संस्थान
   (iii) विश्वविद्यालय कॉलेज/तकनीकी संस्थान
   (iv) अर्ध-सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त निकाय
   (v) अन्य (स्पष्ट करें)
6. संबद्धताओं का ब्यौरा, यदि कोई हो (विवरण संलग्न करें)
7. प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा:
   (i) उद्देश्य
   (ii) अवधि
   (iii) लक्ष्य समूह (परियोजना के तहत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों सहित)
   (iv) किए जाने वाले मुख्य कार्यकलाप
   (v) क्या संलग्न इलाकों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाला कोई अन्य संगठन है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा और वैसी ही सुविधा की स्थापना के लिए स्पष्टीकरण
   (vi) परियोजना के मुख्य बिंदु (एक संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए)
   (vii) प्रस्तावित लागत और समय सीमा (कार्यकलाप-वार लागत/व्यय)
   (viii) कार्यान्वयक एजेंसी (आईए)/एसपीवी का ढांचा (उपभोक्ता निकाय)
   (ix) आईए/एसपीवी (उपभोक्ता निकाय) द्वारा किए गए एमएसएमई पहलों के पिछले ट्रैक रिकार्ड को संबंधित दस्तावेजों के साथ हाईलाइट किए जाने की जरूरत है

(x) परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए राजस्व सृजन प्रणाली (लगाए जाने वाले सेवा/उपभोक्ता शुल्क, किसी अन्य को विनिर्दिष्ट किया जाए)

(xi) परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची और पूर्णता अवधि

(xii) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में प्रस्तावित हस्तक्षेपों का बेंचमार्किंग प्रभाव (प्रस्ताव का एक भाग, खासकर व्यापार योग्य वस्तुओं (परंपरागत रूप से निर्यातित या आयातित किया जा सकने वाला कोई उत्पाद) के संदर्भ में,निर्यात/वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मुकाबले लाभार्थी उद्यमों पर परियोजना के संभावित प्रभाव को रेखांकित करने के लिए समर्पित किया जाना चाहिए)

8. परियोजना के लिए स्पष्टीकरण देने वाली कोई अतिरिक्त सूचना

9. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

(i) पंजीकरण या समकक्ष प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति

(ii) संस्था के अंतर्नियम ज्ञापन या नियम/विनियम, आदि की प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो)

(iii) पिछले दो वर्षों के खातों के लेखापरीक्षित विवरण की प्रमाणित प्रति, यदि लागू हो

(iv) पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, यदि लागू हो

(v) कार्यक्रम को उचित प्रकार से आयोजित करने और कार्यक्रम के आयोजित न होने की स्थिति में, सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम को वापस करने का वचन देने वाला दस्तावेज।

हस्ताक्षर और पदनाम
मुहर सहित

निबंधन व शर्तें

(i) वित्तीय सहायता को सिर्फ आईपी सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(ii) सहायता को केंद्र की प्रगति के आधार पर किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त कार्यक्रम, कार्यक्रम-स्थल, मद-वार बजट अनुमान, आदि की सूचना की प्राप्ति पर प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी।

(iii) शेष राशि (i) चार्टर्ड एकाउंटेंट से उपयोगिता प्रमाणपत्र, (ii) खाते का विवरण, और (iii) मूल वाउचर और परिकल्पित सुपुर्दगियों के संबंध में की गई प्रगति

(iv) सहायता की खर्च न की गई राशि विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय को वापस की जाएगी।

(v) कार्यक्रम के अलग खाते रखे जाएंगे और उसकी पीआईसी द्वारा उसके प्रतिनिधि के माध्यम से परीक्षा जांच की जाएगी।

(vi) संस्वीकृति के किसी निबंधन व शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संगठन को संस्वीकृत पूरी राशि कमीशन को मांगने पर या उसका एक हिस्सा सरकारी दरों के अनुसार दंडस्वरूप ब्याज के साथ लौटाना होगा।

(vii) विकास आयुक्त (एमएसएमई कार्यालय) सहायता जारी करने से पहले कोई और शर्त लगा सकता है।

अनुबंध VIII

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कार्यकलापों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संगठन/संस्थान के लिए फार्म

1. संगठन/संस्थान का नाम
2. पता
3. फोन नंबर
   (i) फैक्स
   (ii) ई-मेल
4. संगठन/संस्थान का प्रमुख
5. आईपीआर संबंधी मामलों पर नोडल व्यक्ति
6. वर्तमान स्थिति के साथ संगठन/संस्थान का संक्षिप्त प्रोफाइल
7. आईपीआर संबंधी मुद्दों पर या एमएसएमई क्षेत्र के लाभ के लिए किए गए कार्य संबंधी संक्षिप्त विवरण
8. पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/केंद्र सरकार या अन्य निकायों से प्राप्त अनुदानों का विवरण, जिसमें प्रत्येक मामले में निम्नलिखित को प्रदर्शित किया हो:
   (i) जिस उद्देश्य के लिए वह अनुदान प्राप्त किया गया था
   (ii) उसका उपयोग किस प्रकार किया गया
   (iii) जिस कार्यक्रम के लिए सहायता दी गई थी, उसमें की गई प्रगति
   (iv) क्या पिछली सहायता की सभी शर्तों का उपयुक्त पालन किया गया था
9. आईपीआर और/या एमएसएमई क्षेत्र के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग में काम करने का कोई पिछला अनुभव
10. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ प्रस्तावित कार्यकलाप
11. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का पूरा ब्यौरा
12. क्या प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ कोई समझौता/समझौता ज्ञापन हुआ है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा
13. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कार्यकलापों के लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा
14. क्या पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क किया है, उसका ब्यौरा
15. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
   (i) व्यय के आकलन के ब्यौरों के साथ पूर्ण स्पष्टीकरण
   (ii) एक शपथ पत्र कि व्यय का आकलन उचित रूप में अनुमोदित होने और इन आकलनों के आधार पर अनुदान के मूल्यांकन के बाद, अनुदान के संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के अग्रिम अनुमोदन के बिना संस्थान द्वारा उन्हें संशोधित नहीं किया जाएगा।
   (iii) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो।
   (iv) पिछली बैलेंस शीट की एक प्रति के साथ पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए संस्थान के लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति, यदि कोई हो।

हस्ताक्षर और पदनाम
मुहर सहित

टिप्पणी

टिप्पणी

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

wwww.dcmsme.gov.in

उद्यमी हेल्पलाइन नं.: 1800-180-6763 (टोल फ्री)